|| कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग– 246171 ||

राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) भर्तीः शारीरिक दक्षता परीक्षा के अर्ह अभ्यर्थियों हेतु–

–: सामान्य निर्देश :–

1. प्रत्येक अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि को निर्धारित परीक्षा केन्द्र में निर्धारित समय से न्यूनतम तीस मिनट पूर्व पहुँचना सुनिश्चित करेंगे।
2. यदि कोई अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि को निर्धारित परीक्षा केन्द्र में निर्धारित समय से विलम्ब से पहुँचता/पहुँचती है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा समिति द्वारा उसके सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
3. प्रत्येक अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि को निर्धारित परीक्षा केन्द्र में अपने समस्त शैक्षिक अभिलेख(हाइस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा स्नातक स्तर की समस्त अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीयन कार्ड, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी तत्सम्बन्धी जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ अभिलेखीय सत्यापन(**Document Verification**) हेतु अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे/करेंगी। यदि कोई अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी अपने उपर्युक्त अभिलेख मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करता/करती है, तो राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) भर्ती परीक्षा समिति द्वारा उसके सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
4. उपर्युक्त के अतिरिक्त जिस अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा अधिमानी अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र (पर्वतीय क्षेत्र निवासी, क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने सम्बन्धी, प्रादेशिक सेना में सेवायों देने तथा एन0सी0सी0 के ''बी'' तथा ''सी'' प्रमाण पत्रों) की छायाप्रतियाँ संलग्न की गयी हैं, उनकी भी मूल प्रतियाँ अभिलेखीय सत्यापन(**Document Verification**) हेतु अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे/करेंगी।
5. अभिलेखों तथा दस्तावेजों के निरीक्षण/सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य प्रकट होने अथवा सम्पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।
6. उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग हेतु कोई भी यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
7. शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आवश्यक सभी सामग्रियाँ यथा जूते, पोशाक आदि सामग्रियों तथा ठहरने की व्यवस्था प्रत्येक अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा स्वयम् सुनिश्चित की जायेगी।
8. अभिलेखों का सत्यपान एवम् परीक्षण, रुद्रप्रयाग नगर में स्थित गुलाबराय क्रीड़ा मैदान में किया जायेगा, परन्तु वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम द्वारा बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में यह कार्य निकटस्थ जिला पंचायत, रुद्रप्रयाग के सभागार में सम्पन्न किया जायेगा।
9. वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम द्वारा बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा किन्हीं अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी हेतु निर्धारित तिथि में सम्पन्न नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में आरक्षित दिवस को शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी, जिसके सम्बन्ध में नियत तिथि से तत्समय अवगत करा दिया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

10. प्रत्येक अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को शारीरिक दक्षता परीक्षा समिति द्वारा चेस्ट संख्या, टोकन संख्या तथा अन्य आवश्यक सामग्रियाँ तथा निर्देश यथासमय उपलब्ध कराये जायेंगे जिनका प्रत्येक अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को अनिवार्यतः अनुपालन करना होगा।

11. यदि कोई अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी नाप–जोख परीक्षण में अर्ह नहीं पाया जाता/पायी जाती है तो उसे दौड़ में प्रतिभाग करने की अनुमति, किसी भी स्थिति में प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

12. अभिलेखीय सत्यापन एवम् नाप जोख परीक्षणोपरान्त दौड़ का आयोजन जवाड़ी बाइपास मार्ग में कराया जायेगा तथा गुलाबराय क्रीड़ा मैदान से जवाड़ी बाइपास मार्ग तक सभी अभ्यर्थियों के आवगमन की व्यवस्था जनपद प्रशासन द्वारा बस के माध्यम से की जायेगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को जनपद प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गई बस सेवा के माध्यम से ही दौड़ के आयोजन स्थल जवाड़ी बाइपास मार्ग तक, आवागमन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. यदि कोई अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी अपने पक्ष में किसी प्रकार का प्रचार–प्रसार, कैनवेसिंग करने अथवा दबाव डलवाने का प्रयास करता हुआ पाया जायेगा/पाई जायेगी, तो ऐसे अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

14. प्रत्येक अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पूर्णतः अनुशासन बनाये रखना होगा, यदि कोई अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी किसी अनुशासनहीनता अथवा वर्जित कार्यों में संलिप्त पाया जाता/पायी जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

नोटः– **यदि कोई अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) भर्तीः शारीरिक दक्षता परीक्षा के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता/चाहती है तो वह किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे के मध्य जिला कार्यालय के कक्ष संख्याः 11 में अथवा दूरभाष संख्याः 01364–233834 में (श्री जयवीर राम बधाणी, सहायक भूलेख अधिकारी अथवा श्री सत्यनाराण सिंह नेगी, भूलेख सहायक) से सम्पर्क करते हुये तत्सम्बन्धी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उपर्युक्त कार्मिक दूरभाष पर शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारियाँ एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।**

नोटः– यदि किसी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक सम्बन्धी पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह दिनांक 17.02.2016 तक किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक जिला कार्यालय के कक्ष संख्याः 11 में एक प्रार्थना पत्र लिखते हुये अथवा अपनी निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि को अपने दो स्वप्रमाणित छायाचित्र प्रस्तुत करते हुए द्वितीय प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक प्राप्त कर सकता/सकती है।

अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।